



न्यायालय: माननीय राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /2013 पुनरीक्षण निं. 4506-III-13

श्री प्रमोद के श्रीवास्तव, कठमे
द्वारा आज दि 18-12-13 को

प्रभुदयाल पुत्र रामलाल रिछारिया
निवासीगण- मलपुरा, हाल निवासी-न्यू
कॉलोनी, जिला छतरपुर, --- आवेदक

18-12-13

बनाम

म0प्र0 शासन --- अनावेदक

S. K. Sharma

पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959
विरुद्ध आदेश दिनांक 21/10/2013 पारित द्वारा न्यायालय
अपर आयुक्त सागर सम्भाग सगर के प्रकरण क्रमांक 674/अ
68/2012-13 अपील व उनवान प्रभुदयाल रिछारिया आदि
बनाम म0प्र0 शासन

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से पुनरीक्षण माननीय न्यायालय के
समक्ष निम्न प्रकार प्रस्तुत है:-

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य

1. यहकि, प्रकरण में विवादित भूमि खसरा नं0 3204 रकवा 2.33 एकड़
भूमि स्थित ग्राम छतरपुर के भूमि स्वामी महाराज भवानीसिंह जूदेव
थे, उनके स्वत्व स्वामित्व मकबरा आबादी की भूमि है, जिसमें से
आवेदक के पिता रामलाल रिछारिया के द्वारा दिनांक
17/12//1984 को महाराज भवानीसिंह जूदेव के मुख्तारआम
बलवीरसिंह जूदेव से खसरा क्रमांक 3204 में से रकवा 0.13 हैक्टर
भूमि रजिस्टर्ड विक्रयपत्र दिनांकी 17/12/84 क्रय की, वास्तविक

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 4506-तीन/13

जिला छतरपुर


स्थान तथा दिनांक

कार्यवाही तथा आदेश

पक्षकारों एवं अभिभाषकों
आदि के हस्ताक्षर

10.12.2014

उभयपक्ष अधिवक्ताओं द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों का अवलोकन किया गया । अधीनस्थ तीनों न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष हैं । निगरानी में कोई नया बिन्दु नहीं उठाया गया है अतः यह निगरानी अग्राह्य की जाती है ।


 प्रशासकीय सदस्य